न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील संख्या :- ---------- अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- जगराम बनामक दयाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
19.8.2019	कार्यालय प्रतिवेदन का अवलोकन किया । अपील दर्ज रजिस्टर हो । विद्वान वकील अपीलांट को सुना गया । विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व हमको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। प्रकरण में ना तो तनकियात कायम की गई और ना ही तनकीवार निर्णय पारित किया गया । पत्रावली तलबी में विचाराधीन थी । इसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे । हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया । चूंकि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना नहीं गया है । विपक्षी को बिना सुने पारित किया गया निर्णय अविधिक होता है । ऐसी स्थिति में हम प्रकरण को रिमांड किया जाना उचित समझते हैं । अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.5.2018 निरस्त किया जाता है तथा तहत न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वो प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । अपीलांट वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थित हों । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो । भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner